मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 24.05.2019

क्रमांक / 1272 / 793 / 2019 / 10–1 :: उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 में श्री मूलचंद सिरोठिया, उप वनक्षेत्रपाल (विचारण क्षेत्र की सूची का सरल क्रमांक – 37 पदक्रम सूची वर्ष 2014 में वरीयता क्रमांक – 164) के नाम पर विचार किया गया था, तत्समय श्री सिरोठिया के विरूद्ध विभागीय जांच दण्ड आदि की जानकारी निरंक थीं। अतः पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 में सिरोठिया को पदोन्नति के योग्य पाया था।

2/ पदोन्नति समिति की बैठक के बाद मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर के आदेश क्रमांक 641 दिनांक 20.10.2015 द्वारा श्री मूलचंद सिरोठिया, उप वनक्षेत्रपाल को कारण बताओ सूचना पत्र में परिनिंदा की शास्ति से दण्डित किया गया। उपरोक्त दण्ड के विरूद्ध श्री मूलचंद सिरोठिया द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता एवं शिकायत) के आदेश क्रमांक 69 दिनांक 29.06.2016 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 641 दिनांक 20.10.2015 निरस्त किया गया।

3/ श्री मूलचंद सिरोठिया द्वारा उन्हें पदोन्नत न करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर जबलपुर में याचिका क्रमांक 22600/2017 दायर की जिसमें उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दिनांक 20.12.2017 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया–

Petitioner's contention is that he could not be promoted because a minor penalty was inflicted on him, thereafter he has been exonerated and minor penalty has been taken away in the appeal. Thus, respondents are required to consider the case of the petitioner for promotion which could not been granted because of currency of minor penalty.

In view of such submission, this petition can be disposed of with a direction to respondent No.1and 2 to consider the case of the petitioner for promotion to the post of Ranger after setting aside of the minor penalty in appeal, within a period of three months from the date of receipt of certified copy of the order being passed today.
Accordingly, petition is disposed of."

4/ माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर के उक्त आदेश के अनुपालन मे श्री मूलचंद सिरोठिया, उप वन क्षेत्रपाल ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 22.12.2017 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने समस्त लाभों सहित पदोन्नति देने का निवेदन किया, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा शासन को प्रेषित किया गया। उक्त अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत चाहा प्राप्त किया गया व पत्र क्रमांक 224/4141/2017/10–1 दिनांक 30.01.2018 से अवगत कराया गया कि पदोन्नति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2016 के संदर्भ में यथास्थिति बनाये रखने के अंतिम आदेश जारी किये गये है ऐसी स्थिति में म.प्र.सिविल सेवा पदोन्नति नियम 2000 के अधीन किसी भी प्रकार का कार्यवाही की जाना संभव नही है।

तत्पश्चात श्री मूलचंद सिरोठिया द्वारा दिनांक 17.12.2018 को पुनः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन 2) को वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति करने बावत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख द्वारा अपने टीप क्रमांक 582 दिनांक 26.02.2019 से शासन को प्रेषित किया।

अभ्यावेदन में श्री मूलचंद सिरोठिया, उप वन क्षेत्रपाल ने माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर के द्वारा याचिका क्रमांक 22600/2017 में पारित निर्णय की प्रति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2018 की प्रति जो राजस्व विभाग के तहसीलदार श्री [illegible] सिंह गौतम के माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में पदोन्नति प्रकरण से संबंधित है, भी संलग्न किया है।

2...

5/ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2018 में उल्लेखित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में रिट पिटिशन क्रमांक 45/2017 में दिनांक 04.10.2017 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नानुसार है :-

In the present case the petitioner was considered by the DPC and based upon the recommendation of the same DPC, as many as 38 Tehsildars have been posted as Dy. Collector. The order of status quo will not come in the way of the petitioner as in the case of the petitioner the issue of reservation is not involved at all. It is a case of opening of the sealed cover and, therefore, in the considered opinion of this Court the writ petition deserves to be allowed and is accordingly allowed.

The respondents are directed to open the recommendation of the DPC, within a period of 30 days from today. The writ petition stands allowed with the following directions :-

a. The respondents shall open the sealed cover within a period of 30 days from today and shall also pass an appropriate consequential order based upon the recommendation within the aforesaid period.
b. The writ petitioner shall also be entitled for backwages, seniority and all other consequential benefits by treating him at par with his juniors, in case he is found fit by DPC for promotion.
c. Exercise fo granting consequential benefits, in case promotion order is issued in respect of the petitioner, be concluded within a period of 90 days from the date of receipt of certified copy of this order.

6/ उक्त प्रकरण में शासकीय महाधिवक्ता, ग्वालियर के अभिमत के आधार पर शासन द्वारा रिट अपील प्रस्तुत की गई, जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का कार्यकारी अंश निम्नानुसार है :-

The only contention of the appellants/State is that the Hon'ble Supreme Court of India in the case of State of M.P. and others V/s. R.B. Rai and others has granted an order of status quo,the question of opening the sealed cover does not arise. Considering the aforesaid, we are of the view that learned Writ Court has not committed any legal error in passing the order to open the sealed cover and passed an appropriate order. No case to interfere in the impugned order is made out. This appeal has no merit and is accordingly dismissed in limine.

7/ उपरोक्त रिट अपील खारिज होने के बाद प्रकरण में शासकीय महाधिवक्ता, ग्वालियर के अभिमत के आधार पर शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.05.2018 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है :-

Delay condoned. We find no reason to entertain this special leave petition, which is, accordingly, dismissed.

उक्त माननीय न्यायालयों के निर्णय के अनुपालन में श्री कुशल सिंह गौतम, तहसीलदार के प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नत आदेश दिनांक 25.08.2018 जारी किया है।

8/ श्री मूलचंद सिरोठिया, उप वन क्षेत्रपाल द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 22600/2017 में दिनांक 20.12.2017 को पारित निर्णय के संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर का अभिमत प्राप्त किया गया, जो महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1628 दिनांक 15.02.2019 से प्राप्त हुआ है। अभिमत के कार्यकारी अंश निम्नानुसार हैं :-

It is opined that after taking into consideration the order passed by this Hon'ble Court in WPNO. 22600/17 dated 20.12.2017, petitioner's case for consideration for the post of Ranger can be considered and promotion can be granted if the impediment of any order passed by the Hon'ble Supreme Court for grant of promotion is not coming in the way.

The Hon'ble Court has directed the respondent No.1 and 2 to consider the case of petitioner for promotion to the post of Ranger after setting aside of the minor penalty in

appeal and against this order if any appeal is not filed or pending then the petitioner's entitlement should be finalized. Hence the case of the petitioner for promotion on the post of Ranger should be considered and decided in accordance with law

9/ प्रकरण में समस्त अभिलेखों/न्यायालयीन निर्णयों/[illegible] ग्वालियर के [illegible] 2015 में अनारक्षित [illegible] अभिमत के आलोक में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक [illegible] में समिति द्वारा के श्री मूलचंद सिरोठिया, उप वन क्षेत्रपाल (वरीयता क्रमांक [illegible]) [illegible] उन्हें पदोन्नति के योग्य पाया है।

10/ अतः विधि के समक्ष समानता के अवसर को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मूलचंद सिरोठिया, उप वन क्षेत्रपाल को उनसे कनिष्ठ [illegible] (वरीयता क्रमांक 165) के वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से [illegible] के वेतनमान पी. बी. रूपये 9300–34800+3600 ग्रेड पे में कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत के आधार पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हुये, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से [illegible] रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थानापन्न रूप से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत [illegible] पदस्थापना के संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

11/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के [illegible] करने हेतु निर्धारित रोस्टर पंजी में पदोन्नति की प्रविष्टि नहीं की गई है, क्योंकि वर्तमान में पदोन्नति नियम 2002 अस्तित्व में नहीं है।

12/ पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारित करने के लिए पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक [illegible]/2009/नियम–4 दिनांक 23 मार्च, 2009 के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

13/ उपरोक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) [illegible] भर्ती नियम [illegible] के अंतर्गत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी।

14/ उपरोक्त पदोन्नति आदेश प्रकरण में उल्लेखित न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में [illegible] किया जा रहा है, इसे किसी भी अन्य प्रकरण में पूर्व उदाहरण नहीं माना जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

स्था-5

123
28/5/19

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 24 मई, 2019

पृष्ठ क्रमांक/1273/793/2019/10–1

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं ।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त ग्वालियर।
5. वनमण्डलाधिकारी, ग्वालियर वन मंडल (सामान्य)।
6. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
7. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
9. संबंधित अधिकारी श्री मूलचंद सिरोठिया, उप वन क्षेत्रपाल द्वारा–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन–।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशा-II/गोपनीय/05/2908 भोपाल दिनांक 28/05/201

प्रतिलिपि :-

(1) मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर को सू.

(2) वनमण्डलाधिकारी श्योपुर वनमण्डल सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित/कृपया उपरोक्त शासन आदेश से संबंधित अधिकारी को अवगत कराने का कष्ट करें।

सहायक वन संरक्षक (प्रशा-II)
कृ. मध्यप्रदेश, भोपाल